F0RM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तीजा बनाम मक्खनलाल वगै0

किस्म मुकदमा:–दावा अ.धा. 88,188. आर.टी.एक्ट मुकदमा नम्बर:– 170 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
04.10.2023	वादीगण की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकले साधारण तरीके से एंव रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 16.10.2023 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	710-13 11-10-23
16.10.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादीगण संख्या 1, 4, 6, 7 की पहचान वादी वकील श्री कमल कुमार शर्मा ने की एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने मय वकालतनामा पेश कर की। उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान के द्वारा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया जाकर राजीनामा तस्दीक किया गया। वास्ते देखने तामील शेष प्रतिवादी पत्रावली दिनांक 23.10.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
23.10.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस बहुपक्षयीय सुनी गई। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तरतीबी प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता कमल कुमार [illegible] पेश किया तथा साक्ष्य वादी का मुख्य परीक्षण में वादी [illegible] उर्फ किशनलाल पुत्र स्व. रिछपाल व [illegible] कुमार पुत्र मक्खन लाल के तस्दीक[illegible] शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] प्रस्तुत वादपत्र बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड एवं [illegible] निषेधाज्ञा राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 23/10/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
170/2023	2023/293	04.10.2023	23.10.2023

उनवान प्रकरण

1. तीजा देवी पत्नी स्व. रिछपाल आयु 70 वर्ष
2. मदनलाल पुत्र स्व. रिछपाल आयु 53 वर्ष
3. कृष्ण कुमार उर्फ किशनलाल पुत्र स्व. रिछपाल आयु 40 वर्ष
4. गिरधारीलाल पुत्र स्व. रिछपाल आयु 37 वर्ष
5. भागीरथ उर्फ भागीरथसिंह पुत्र स्व. सुखदेव आयु 70 वर्ष
6. सुरजमल पुत्र स्व. सुखदेव आयु 75 वर्ष
7. प्रभुदयाल पुत्र स्व. जीताराम आयु 65 वर्ष

समस्त जाति अहीर निवासीगण ढ़ाणी मल्लूसिंहवाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

—— वादीगण——

बनाम

1. मक्खनलाल पुत्र जीताराम आयु 62 वर्ष जाति अहीर निवासी ढ़ाणी मल्लूसिंहवाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0
2. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

——प्रतिवादीगण ——

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:03 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रिछपाल आयु 43 वर्ष जाति अहीर निवासी ढाणी मल्लूसिंहवाली तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

——तरतीबी प्रतिवादी——

उपस्थित : –

श्री कमल कुमार शर्मा एड0, वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण अभिभाषक।

श्री फूलचन्द सामोता एड0, प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 2 ।

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

——:: निर्णय ::——

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.70 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में अवस्थित है, जिसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कतई गलत रूप से दर्ज हुयी है। भूमि खसरा नम्बर 2592 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 2594 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 2587 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 2588 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 2591 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 2593 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 2.99 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में अवस्थित है जिसके बाबत वादी प्रतिवादी संख्या 1 मक्खनलाल / वादी ने एक वाद मुकदमा संख्या 134 / 2000 बी.टी. नम्बर 325 / 2002 उनवानी मक्खनलाल बनाम् रिछपाल वगैरह न्यायालय सहायक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:03 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कलैक्टर महोदय द्वितीय श्रीमाधोपुर के यहा पेश कर उक्त भूमियों में अपने नाम 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने बाबत् दावा पेश किया गया था जो बाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर की अदालत में दर्ज हुआ जिसमें पक्षकारान द्वारा राजीनामा दिनांक 13.03.2001 व 23.04.2001 व 23.03.2002 को अलग–अलग समय में अलग–अलग प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जाकर राजीनामे तस्दीक हुये हैं। जिनमें उपरोक्त समस्त भूमियों में हिस्सा 1/5 की खातेदारी उपरोक्त वादी मक्खनलाल के नाम दर्ज कर दिये जाने बाबत् राजीनामे प्रस्तुत होकर तस्दीक होकर तस्दीक हुये हैं व वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वंय वादी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में अपने नाम सम्पूर्ण भूमियों का हिस्सा 1/5 की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने की इस्तदुआ चाही गयी है तथा साक्ष्य में प्रस्तुत गवाह ख्यालीराम पुत्र रामू जाति गुर्जर निवासी दिवराला द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में समस्त खसरा नम्बरान में हिस्सा 1/5 दर्ज करने व 1/5 हिस्सा इसी अनुसार कब्जा काश्त होना दर्ज किया गया है परन्तु उक्त वादपत्र को वरवक्त फैसला/निर्णय डिक्री में पूर्व प्रकरण के वादी द्वारा कतई गलत रूप से व न्यायालय को मुगालता देते हुये वादपत्र में दर्ज खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.70 हैक्टर सम्पूर्ण अपने हिस्से से अधिक सम्पूर्ण की डिक्री अपने हक में जारी करवाकर उक्तानुसार कतई गलत रूप से नुमाईशी खातेदारी प्राप्त की गयी है, जो कतई गलत विधि विरूद्ध व कपटपूर्ण आशय व बेईमानीपूर्ण तरीके से खातेदारी प्राप्त की गयी है। जो विरूद्ध वादीगण कलअदम, बेअसर व शुन्य है। उक्त गलत खातेदारी व नुमाईशी कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त की गयी खातेदारी से वादीगण पाबन्द नहीं है। वादीगण को पूर्व में उक्त गलत खातेदारी की पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है न ही वादीगण को कभी कोई आवश्यकता ही महसूस हुयी है। क्योंकि वादीगण उक्त भूमि में पुख्ता मकानात आदि बनाकर रिहायश करते चले आ रहे है, परन्तु दिनांक 04.09.2023 को प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:03 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

संख्या 1 ने वादीगण को एहलानिया धमकी दी है कि मैने खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.70 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली हैं तथा अब मैं उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करके रहूंगा, तब वादीगण ने समस्त रिकॉर्ड नवीन व पुराना एवं न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र राजीनामा निर्णय, डिक्री आदि की सम्पूर्ण नकले दिनांक 08.09.2023 को प्राप्त होने पर वादीगण को उक्त समस्त नुमाईशी फर्जीयात की जानकारी प्रथम बार हुयी है। इससे पूर्व वादीगण को इस बाबत कोई जानकारी कभी भी नहीं हो सकी है। इस कारण वादीगण को यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा दिनांक 04.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को एहलानिया धमकी दी कि सम्पूर्ण खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.70 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी मैने मेरे नाम दर्ज करा ली हैं व उक्त भूमि को दीगर लोगों को विक्रय आदि कर खुर्द–बुर्द करके रहूंगा तब वादीगण को नकले आदि दिनांक 08.09.2023 को प्राप्त होने पर व प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादीगण को बेदखल आदि करने की धमकी देकर भूमियों को खुर्द–बुर्द आदि करने की एहलानिया धमकी देने से पैदा होकर लगातार हो रहा है। वादीगण अपने हक अधिकार स्वामित्व व कब्जे की भूमि पर अपने विधिक हिस्सेअनुसार लगातार काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर 2590 में वादी मदनलाल व वादी प्रभूदयाल ने अपने रिहायशी मकान अलग–अलग दो पुख्ता हवेलिया उत्तरी–पश्चिमी कोने में सन् 2004 से ही बनाकर उनमें रिहायश करते चले आ रहे है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलत रूप से व नुमाईशी तौर पर कतई कपटपूर्ण तरीके से बदनियति करते हुये कूटरचना कर अपने नाम खातेदारी जरिये डिक्री प्राप्त की है। उक्त डिक्री व फैसला विरूद्ध वादीगण कलअदम व शुन्य है। वादीगण उक्त निर्णय व डिक्री को अपने विधिक अधिकारों के विरुद्ध घोषित कराने के विधिक अधिकारी है। वादी संख्या 8 प्रभूदयाल के पिता का नाम जीताराम हैं, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि में प्रभूदयाल के पिता का नाम सुखदेव दर्ज है, जो गलती से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:03 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दर्ज हुआ है। वादी प्रभूदयाल जीताराम का पुत्र है। वादी सख्या 7 प्रभूदयाल उक्त वल्दियत का दुरूस्त कराये जाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी को आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाया गया है एवं तरतीबी प्रतिवादी ओमप्रकाश वरवक्त दायरी दावा बाहर नौकरी पर होने से उसे तरतीबी प्रतिवादी बनाया गया है।

वकील वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.70 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान बाबत् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2009 दावा उनवानी मक्खनलाल बनाम् मृत्तक रिछपाल वगैरह मुकदमा नम्बर 325/2002 को वादीगण के हक हिस्से 4/5 जिसका मौके पर आपसी समझौता होकर हिस्सा 1350/7000 हिस्से तक कलअदल, बेअसर व शुन्य घोषित की जाकर वादीगण को उनके विधिक हक हिस्से अनुसार खातेदारी वादीगण संख्या 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 3 हिस्सा 1/4 रकबा 0.03375 प्रत्येक का रकबा 0.00675 अर्थात प्रत्येक के 1/20, 1/20 हिस्सा एवं वादीगण संख्या 5 ता 7 हिस्सा 3/4 कुल रकबा 0.10125 जिसमें का प्रत्येक का हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 व प्रत्येक का रकबा 0.03375 हिस्से की खातेदारी दर्ज की जाकर इसी अनुसार वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये वादी संख्या 7 प्रभूदयाल की वल्दियत में सुखदेव के स्थान पर जीताराम दर्ज करते हुये रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर इसी अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया। कृषि भूमि खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.70 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना राजस्थान में वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादी के भूमिया के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करे, ना ही भूमियों को दीगर भूमाफिया लोगों को किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:03 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भी तरीके से अन्तरण, रहन व जरिए ईकरारनामा आदि नहीं करे, ना ही भूमियों को कृषि से अकृषि भूमि में बदलाव करें, ना ही दीगर से करवें , ना ही ऐसा कोई कृत्य करें या करावे जिससे वादीगण के विधिक हक हकूकों पर कुठाराघात होता हो इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादीगण संख्या 1, 4, 6, 7 की पहचान एवं वादीगण संख्या 2, 3, 5 की ओर से राजीनामा स्वीकार होना वकील वादी श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 की पहचान वकालतनामा पेश कर श्री फूलचन्द सामोता एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान् ने सुन व समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तरतीबी प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता कमल कुमार शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। साक्ष्य वादी का मुख्य परीक्षण में वादी कृष्ण कुमार उर्फ किशनलाल पुत्र स्व. रिछपाल व गवाह कैलाश पुत्र प्रभुदयाल, सुरेश कुमार पुत्र मक्खन लाल के तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश हुये। वकील वादीगण व पक्षकारान ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में पक्षकारान द्वारा समझौता/राजीनामा पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीगण व वकील प्रतिवादी की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:20:03 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नी-का-थाना)

वादीगण व वकील प्रतिवादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 एवं एक जमाबंदी संवत् 2058–2061, राजीनामा, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2009 दावा उनवानी मक्खनलाल बनाम् मृत्तक रिछपाल वगैरह मुकदमा नम्बर 325/2002, साक्ष्य वादी व गवाहान के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादी के मध्य हुए आपसी समझौते/राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.70 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि में से 13.50 हैक्टर अर्थात् 1350/7000 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम वादपत्र की इस्तदुआ के अनुसार की जाकर व शेष 5650/7000 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रखी जाकर व उक्त हिस्सा 1350/7000 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर दिया जाकर राजीनामा अनुसार वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये वादी संख्या 7 प्रभूदयाल की वल्दियत में सुखदेव के स्थान पर जीताराम दर्ज करते हुये रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाता है। इसी अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:03 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 2590 रकबा 0.70 हैक्टर तन् ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 1 नाम दर्ज हैं। उक्त भूमि में से 13.50 हैक्टर अर्थात् 1350/7000 हिस्सा की खातेदारी वादीगण के नाम वादपत्र की इस्तदुआ के अनुसार की जाकर व शेष 5650/7000 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रखी जाकर व उक्त हिस्सा 1350/7000 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर दिया जाकर राजीनामा अनुसार वादीगण को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करते हुये वादी संख्या 7 प्रभूदयाल की वल्दियत में सुखदेव के स्थान पर जीताराम दर्ज करते हुये रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। राजीनामा डिक्री का भाग रहें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

23/10/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:21:03 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर